पत्रावली पेश हुई। इस प्रार्थना पत्र
से संबंधित वाद आदम हव्वा व आदम
चेरनी में खारिज हो चुका है। इसलिए
इस प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई
औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को
R.T. Act की धारा पर खारिज किया जाता
है। मिसल हुंसल शुमार होकर नियमानुसार
कब की जाकर बाद तहसील दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner